

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

DATED: ALLAHABAD: OCTOBER 18, 2014

No. 897 /JR(S)/2014

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. **647/II-4-2014-45(2)/2013** dated **18.09.2014** Sri **Yajnesh Chandra Pandey** candidate of Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Ghazipur.

BY ORDER OF THE COURT,

sd/-

(PRATYUSH KUMAR)
REGISTRAR GENERAL

No.392/JR(S)/2014: Allahabad: Dated: October 18, 2014

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. The Executive Chairman, U.P. State Legal Services Authority, Third Floor, Jawahar Bhawan Annexe, Lucknow-226001.
2. Pramukh Sachiv, Niyukti, U.P. Shasan, Lucknow.
3. Pramukh Sachiv, Nyay Evam Vidhiparamarshi, Uttar Pradesh Shasan, Lucknow.
4. The Director, Institute of Judicial Training & Research, Vineet Khand, Gomti Nagar, U.P. Lucknow requesting him to impart Induction Training to aforesaid newly appointed Civil Judge, Junior Division in their wisdom. (Information available on E-mail).
5. The Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow . (Information available on E-mail).
6. The Additional Director, Treasury, Camp Office, First Floor, New Treasury Building, Kutchery Road, Allahabad.
7. The District & Sessions Judge, Ghazipur along with photocopy of U.P. Government Appointment/Notification No. 647/II-4-2014-45(2)/2013 dated 18.09.2014 (Information available on E-mail).

The District & Sessions Judge, Ghazipur subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad is directed that to permit the newly appointed candidate Civil Judge, Junior Division, to take over charge on the post.

The certificate of taking over charge by the candidate Civil Judge Junior Division be sent to the Section Officer (Services), High Court, Allahabad.

The District & Sessions Judge, Ghazipur subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad is directed to make arrangement for field training in the judgeship for newly recruited/ appointed candidate of Civil Judge, Junior Division as per instruction contained in letter No. 416/A.R.(S)/3-A/2009 dated 03.09.2009.

8.

- a) Sri Yajnesh Chandra Pandey, S/o Dr. Suresh Chandra Pandey newly selected candidate Civil Judge, Junior Division

You shall proceed to take over charge of your place of posting immediately.

Newly appointed candidate Civil Judge, Junior Division should note that his appointment to the post of Civil Judge, Junior Division in U.P. Nyayik Sewa is purely temporary and until they are absorbed and appointed as permanent Civil Judge, Junior Division. You shall be subjected to general conditions of services applicable to temporary Government servant contained in Government Notification No. 20/I/74-Niyukti-3, dated June 11, 1975 and also under the condition laid down in U.P. Government Notification/Appointment No. 647/II-4-2014-45(2)/2013 dated 18.09.2014.

9. The Publication Secretary, U.P. Judicial Services Association Office, A-1, River Bank Judges Colony, Lucknow.
10. The Registrar (Judicial) (Confidential), High Court, Allahabad.
11. The Officer on Special Duty (Judicial) (Litigation), High Court, Allahabad
12. The Officer on Special Duty (Judicial) (Computer)/ In charge Computer Centre, High Court, Allahabad.
13. The Sr. Registrar (Judicial) (Budget), High Court, Allahabad.
14. The Section Officer (Admin.A-3) Section, High Court, Allahabad.
15. The Section Officer (Admin. H) Section, High Court, Allahabad
16. The Director, Printing & Stationary, U.P. Allahabad for publication of the notification in the next issue of the Gazette.
17. P.S. to Hon'ble Administrative Judge, Ghazipur with the request to place this notification before His Lordship for kind perusal (Information available on E-mail).

BY ORDER OF THE COURT.

sd/-

(MOHD. FAIZ ALAM KHAN)
I/c JOINT REGISTRAR (JUDICIAL) (SERVICES)

483
508105
24-8-14

4

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या-647/दो-4-2014-45(2)/2013
लखनऊ, दिनांक: 18 सितम्बर, 2014
विज्ञापित/नियुक्ति

रिट याचिका संख्या-42500/2005, यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-09-2013 एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13-01-2014 के अनुपालन में याची श्री यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय (अनुक्रमांक-42156) को उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2003 के आधार पर डी०एफ०एफ० श्रेणी के अन्तर्गत चयनित किये जाने के सम्बन्ध में सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद के पत्र संख्या-650/4/सी-3/रिट/2005-2006टी०सी०, दिनांक 27 मार्च, 2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी मा० लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर श्री यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय को वेतनमान रूपये-27700-770-35090-920-40450-1080-44770 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2- श्री यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय की तैनाती के आदेश अलग से मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा श्री पाण्डेय की ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या-647(1)/दो-4-2014-45(2)/2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को श्री यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये प्रपत्रों (संलग्नकों सहित) मूलरूप में संलग्न कर इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि यदि श्री पाण्डेय मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में बिना समुचित कारणों के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उसकी स्थिति से शासन को अविलम्ब अवगत कराया जाय। इसके अतिरिक्त श्री पाण्डेय की तैनाती के सम्बन्ध में मा० न्यायालय के आदेशों की प्रति तथा उनकी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि/समय आदि की सूचना भी शासन को कृपया तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- (2) अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ०प्र०, शिविर कार्यालय, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- (3) सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-650/4/सी-3/रिट/2005-2006टी०सी०, दिनांक 27 मार्च, 2014 के सन्दर्भ में।
- (4) महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- (5) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, इलाहाबाद को उ०प्र० गजट के आगामी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।
- (6) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ०प्र० शासन।
- (7) निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ०प्र०, गोमतीनगर, लखनऊ।
- (8) श्री यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय, पुत्र-डॉ० सुरेश चन्द्र पाण्डेय, 141 (222) रैदोपुर (बोंध के पास), आजमगढ़, पिन-276001 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उनकी यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। श्री पाण्डेय अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जाने वाले तैनाती आदेशों के अनुसार मा० उच्च न्यायालय द्वारा


..2..

निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। यदि बिना समुचित कारणों के वह मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में नियुक्ति के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है तो उसकी लिखित सूचना महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा प्रमुख सचिव, नियुक्ति अनुभाग-4 को तत्काल प्रेषित करें। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

श्री यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय जब तक सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक वह अस्थायी कर्मचारियों पर लागू अधिसूचना संख्या-20/1/74, नियुक्ति-3, दिनांक 11-6-1975 में दी गयी शर्तों के अधीन रहेंगे।

श्री यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(9) अनुभागीय गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय)
अनु सचिव
९